

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 फरवरी, 1994

खण्ड 1, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 28 फरवरी, 1994

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल का अभिभाषण	(1)1
(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1)17
भाोक प्रस्ताव	
घोशणाएं	(1)31

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा— (i) सभापतियों की सूची	
(ii) याचिका समिति	(1)31
(ख) सचिव द्वारा— राष्ट्रपति / राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	(1)31
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पे करना	(1)32
स्दन की मेज पर रखे गए / पुनः रखे गए कागज पत्र	(1)38
विोशाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना (i) श्री सम्पत सिंह, एम0एल0ए0 तथा प्रतिपक्ष के नेता के विरुद्ध	(1)41
(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम0एल0ए0 के विरुद्ध	(1)42

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 28 फरवरी, 1994

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 15.23 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ई. वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker: In pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly at 2.00 P.M. today, the 28th February, 1994 under Article 176(1) of the Constitution. A copy of the address is laid on the Table of the House.

“माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

हरियाणा विधान सभा के इस वर्ष के प्रथम अधिवेशन में आप सब का स्वागत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है। मैं इस अवसर पर आपको हार्दिक भुभकामनाएं देता हूँ।

माननीय सदस्यगण, आज हम ऐसे समय मिल रहे हैं जब पाकिस्तान और अन्य भारत-विरोधी ताकतों के नापाक इरादों से हमारे देश की प्रभुसत्ता तथा अखण्डता को गम्भीर खतरा है।

वे अपने स्वार्थों के लिये इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हमारी जनता और सशस्त्र सेनाएं भारत की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिये पूरी तरह से समक्ष और तैयार हैं। मैं संसद को बधाई देता हूँ कि उन्होंने काशी में पाकिस्तान की गतिविधियों के विरुद्ध सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया और भारत के आन्तरिक मामलों में दखलअंदाजी करने के लिये भारत-विरोधी ताकतों को चेतावनी दी। मैं हरियाणा की जनता की ओर से भारत की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। पंजाब में आतंकवाद की समस्या के सफलतापूर्वक समाधान ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि हम किसी भी बाहरी या अन्दरूनी खतरे से अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं। मुझे विश्वास है कि काशी में भी आतंकवाद की समस्या सन्तोषजनक हल हो जाएगा जो कि केवल समय की ही बात है।

2. मेरी सरकार राज्य की जनता को भ्रान्तिपूर्ण माहौल प्रदान करने उनमें आपसी सहन शीलता तथा परम्परा सम्मान को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। मेरी सरकार के जोरदार प्रयासों से वर्ष 1993 के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति भ्रान्तिपूर्ण रही जिसके परिणामस्वरूप राज्य में तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये वातावरण उपयुक्त बना रहा। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 1993 में राज्य में आतंकवाद की केवल 8 घटनाएं हुईं। इसका मुख्य कारण है कानून और

व्यवस्था की स्थिति में सुधार तथा समाज विरोधी तत्वों का खत्म होना। वर्ष 1992-93 के दौरान भुरू की गई सीमा क्षेत्र सुरक्षा स्कीम को जोरदार ढंग से क्रियान्वित किया गया और यह राज्य के सीमा पार से आतंकवादियों के प्रवेश को रोकने में बहुत प्रभावी सिद्ध हुई।

3. सुदृढ़ तथा प्रगतिशील कृषि अर्थ-व्यवस्था कायम करने तथा उद्योग और सेवा क्षेत्रों के विकास में सफलता प्राप्त करने के बाद अब हरियाणा राज्य और अधिक तथा तीव्र विकास की ओर उन्मुख है। अब सरकार का प्रयास यह है कि ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जहां लोगों की आय में वृद्धि हो तथा वे स्वस्थ और सुखी जीवन के लिये बेहतर माहौल की आशा कर सकें। सरकार की भूमिका एक नया रूप ले रही है जिससे विचारों में भी परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया है। राष्ट्र निर्माण कार्य में अब न केवल निजी क्षेत्र का बल्कि जनता का भी अधिक सहयोग अपेक्षित है। स्वायत्तता एवं प्रतिस्पर्धा जनित कार्यकुशलता के इस युग में सरकार के लिये अपनी कार्य प्रणाली पुनः निर्धारित करना आवश्यक हो गया है। अब इस बात पर जोर देना है कि कार्य सम्पादन अधिक कुशलतापूर्वक हो ताकि विकास प्रक्रिया में जनता को पहल करने की आसानी रहे। मेरी सरकार कृषि तथा औद्योगिक समृद्धि के विकास के लिये आवश्यक वातावरण तैयार करने तथा पूर्ण मानव विकास के लिये मौलिक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिये उत्सुक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास,

बेहतर रोजगार के अवसर जुटाने और जीवन स्तर की और विशेष ध्यान दिया जाएगा।

4. मेरी सरकार राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की जरूरतों के प्रति पूरी तरह जागरूक है और इसलिये विकास के लिये अधिक साधन जुटाने की लगातार कोशिश कर रही है। अधिक संसाधन जुटाने, योजनेतर खर्च में कमी करने, ज्यादा से ज्यादा किफायत तथा कुशलता से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से परियोजनाओं को लागू करने के जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये गुणात्मक सुधार, प्रक्रिया के सरलीकरण और खर्च में कमी पर विशेष बल देना है।

माननीय सदस्यगण जैसा आप जानते हैं कि अवसर ये शिकायतें मिलती हैं कि राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा राजमार्गों तथा सड़कों पर स्थापित नाके आम जनता, यात्रियों, परिवहन के मालिकों एवं व्यापारियों तथा उद्योगों के लिये परेशानी का कारण बन गए हैं। वाहनों के नाकों पर घंटों रुके रहने से न केवल कीमती समय और ईंधन बर्बाद होता है बल्कि इससे भ्रष्टाचार की संभावना भी पैदा हो सकती है। आज मुझे यह घोशणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरी सरकार ने विभिन्न स्थानों पर बनाए गए बिक्री-कर, चुंगी और अन्य सभी नाकों को हटाने का निर्णय लिया है। इन स्थायी बाधाओं को हटाने से यातायात निर्विघ्न चलेगा और समय व ईंधन की बहुत बचत होगी। यह देश में

आर्थिक उदारीकरण और एकीकृत आर्थिक व्यवस्था बनाने की दिशा में एक ठोस कदम होगा। हम आशा करते हैं कि यात्री सरकार की इस भावना का आदर करेंगे तथा व्यापारी और उद्योगपति कर की चोरी को रोकने में पूर्ण सहयोग देंगे। परन्तु राज्य सरकार कर की चोरी इत्यादि को रोकने के लिये सामयिक चैकिंग जारी रहेगी।

मेरी सरकार राज्य में विकास की गति को तेज करने के लिये निश्ठावान और समर्पित कर्मचारियों की जरूरतों को बहुत महत्व देती है। यह कर्मचारियों की जायज जरूरतों को हमें पूरा करने की कोशिश करती रही है। चालू वर्ष के दौरान 16 सितम्बर 1993 से सभी कर्मचारियों को 100 रुपये प्रतिमाह अंतरिम राहत दी गई। इस पर सरकार का 31 करोड़ रुपया खर्च होगा। मेरी सरकार ने कर्मचारियों के लिये कई अन्य रियायतों की घोषणा भी की है। साथ ही सरकार इस बात की अपेक्षा करती है कि कर्मचारी अपने कर्तव्यों को निश्ठा से निभायेंगे और सरकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अपना पूर्ण सहयोग देंगे।

5. यह बड़ी चिन्ता की बात है कि वर्ष 1993-94 के दौरान अत्याधिक बरसात के कारण राज्य के कई क्षेत्रों में बाढ़ आई। बाढ़ का असर 1105 गांवों और 13 नगरों पर पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप 50 जानें गईं और सम्पत्ति का भी काफी नुकसान हुआ। तथापि मेरी सरकार द्वारा समय पर राहत दिए जाने के परिणामस्वरूप और अधिक नुकसान नहीं होने दिया गया। बाढ़ से

प्रभावित लोगों में बांटने के लिए अब तक लगभग 16.6 करोड़ रुपये की राशि मंजूरी दी जा चुकी है तथा क्षतिग्रस्त निर्माणों की मरम्मत तथा अन्य राहत कार्यों के लिए 30.79 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

6. विकास की गति को तेज करने और समाज के सभी वर्गों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए अवसर जुटाना ही हमारी योजना प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य है। वार्षिक योजना 1994-95 के लिए 1025.5 करोड़ रुपये का परिणाम अनुमोदित हुआ है जो कि चालू वर्ष के परिव्यय से लगभग 11 प्रतिशत अधिक है। राज्य सरकार ने सामाजिक सेवा, मानव संसाधन विकास, जिले तथा सिंचाई क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कुल योजना परिव्यय का 36.6 प्रतिशत आबंटन 18.2 प्रतिशत सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण के लिए रखा गया है।

7. मेरी सरकार सामाजिक सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है और यह वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं तथा विकलांग व्यक्तियों को सुरक्षा तथा आत्मसम्मान प्रदान करने का प्रयास करती रही है।

मेरी सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की भलाई को उच्च प्राथमिकता देती रही है। उनके उत्थान के लिए उन्हें शिक्षा की प्राप्ति के लिए सहायता, सीमान्त राशि एवं विभिन्न प्रकार के व्यापार-धन्धे और मकान-निर्माण के लिए

उपदाम के रूप में वित्तीय सहायता देने की नीति अपनाई गई है। सरकार ने अनुसूचित जाति की विधवाओं की बेटियों की भाादी के लिए एवं अत्याचार के िाकार अनुसूचित जाति के सदस्यों को दी जा रही वित्तीय सहायता की दर में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। मेरी सरकार महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचारों के मामलों में प्रभावी कदम उठा रही है और हमारा दृढ़ निश्चय है कि ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिस में उन पर कोई अत्याचार न होने पाए।

8. हरियाणा में महिला एवं बाल विकास सदैव मानव संसाधन विकास नीति का मुख्य अंग रहे हैं। 107 विकास खण्डों में एकीकृत बाल विकास परियोजनाएं लागू कर दी गई हैं और भोश विकास खण्डों में 1994-95 में ये परियोजनाएं चालू हो जाएंगी। इस प्रकार हरियाणा को सभी ग्रामीण विकास खण्डों में इस स्कीम को कार्यान्वित करने में देश भर में प्रथम राज्य होने का गौरव प्राप्त होगा। इस समय लगभग 7.5 लाख बच्चे तथा 1.5 लाख माताएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। बच्चों तथा माताओं के पोशण के स्तर को और बढ़िया बनाने के लिए विभाग ने बना-बनाया भोजन और िातुओं के लिए विशेष प्रकार का "तुरन्त मिश्रण" भोजन देना शुरू किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के तकनीकी ज्ञान में सुधार लाने के लिए "अंकुर" नामक एक पुस्तिका का प्रकाशन भी किया गया है।

महिलाओं में अधिक आत्म-निर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए महिला विकास निगम ने ऋण नीति को उदार बना दिया है। महिला मंडलों जैसे महिला स्वैच्छिक ग्रुपों को आर्थिक कार्य अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। महिलाओं में बचत को बढ़ावा देने हेतु प्रिय प्रधान मंत्री द्वारा लाल किला की प्राचीर से 15 अगस्त, 1993 को घोषित "महिला समृद्धि योजना" को हरियाणा में लागू कर दिया गया है। आगामी वर्ष में स्वैच्छिक क्षेत्र को महिला विकास के कार्य करने तथा परामर्श, परिवार कल्याण, जूड़ो-कराटे तथा योग-विक्षा कार्यक्रम भुरू करने के लिए और प्रोत्साहन दिया जाएगा। लक्ष्य यह है कि महिलाओं में पूरा आत्मविश्वास जागे।

यू0एन0एफ0पी0 की सहायता से " विमन्ज एम्पावरमेंट एण्ड इंटेगरेटिड डिवैल्पमेंट" कार्यक्रम, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव तथा हिसार जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। यह भात-प्रति भात बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना होगी और इस पर तीन वर्ष की अवधि में कुल 37.64 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जर्मनी की जर्मन तकनीकी निगम (जी0टी0 जैड) ने सह-प्रदाता बनने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है और क्षेत्रीय परामर्शदाता द्वारा इस परियोजना का अवलोकन किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत "जागृति मण्डली" नामक ग्रामीण स्वैच्छिक दलों के माध्यम से महिलाओं को संगठित किया जाएगा, एवं कृषि, मछली और पशुपालन के क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक गतिविधियां भुरू की जाएगी और

स्वास्थ्य, पोशाहार तथा सफाई के संबंध में भी उनकी सहायता की जाएगी। प्रत्येक गांव में प्रसूति के लिए एक साफ-सूथरा "रव जीवन गृह" बनाया जाएगा।

9. हरियाणा ने आव यक संरचना के योजनाबद्ध विकास के कारण कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। मेरी सरकार उन्नत कृषि प्रणाली द्वारा कृषि-उत्पादन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। परिणामस्वरूप, खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1992-93 के दौरान 102.65 लाख टन के कीर्तिमान स्तर तक पहुंच गया है। इसमें खरीफ 1993-94 के लिए लक्ष्य 103.5 लाख टन निश्चित किया गया है। इसमें खरीफ का लक्ष्य 29.6 लाख टन और रबी का लक्ष्य 73.9 लाख टन है। मेरी सरकार की व्यापक समन्वित कोशिशों से किसानों को और अधिक क्षेत्रों में विभिन्न फसलों की खेती करने का प्रोत्साहन मिला है। जुलाई के भुरू में बाढ़ आने और अगस्त में अच्छी वर्षा होने के बावजूद, राज्य में खरीफ 1993 के दौरान 20.5 लाख टन चावल का रिकार्ड उत्पादन हुआ। रबी फसल की स्थिति काफी आशाजनक है और भरपूर उत्पादन होने की सम्भावना है।

मेरी सरकार का प्रयास यह रहा है कि उत्पादन स्तर बढ़ाने के लिए प्रमाणित बीज, खाद और कीटनाशी आदि कृषि निवेशकों को सही समय एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएं। वर्ष 1993-94 के दौरान 2.5 लाख क्विंटल से अधिक प्रमाणित बीज दिए गए जब कि गत वर्ष 2.17 लाख क्विंटल

वितरित किये गये थे। चालू वर्ष के दौरान उर्वरक की खपत 7.3 लाख टन होने की सम्भावना है जबकि वर्ष 1992-93 के दौरान 6.6 लाख टन की खपत हुई थी। भारत सरकार की नीति के अनुसार उर्वरकों की मूल्य-वृद्धि के असर को कम करने के लिए विभिन्न उर्वरकों की बिक्री पर उपदान के रूप में 7.4 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था। जिप्सम, भूमि समतलन तथा छिड़काव सिंचाई सैटों के लिए भी उदार उपदान उपलब्ध कराए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को उपदान देने का वि. व. बैंक प्रावधान किया है। इस वर्ष खरीफ फसल में 1.33 लाख हैक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र को हानि पहुंची। बाढ़ से प्रभावित किसानों को कृषि उपयोगी पदार्थों के लिए उपदान देने हेतु 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई जो कि अन्य बाढ़ राहत कार्यों पर खर्च की जाने वाली 47 करोड़ रुपये की राशि के अलावा है।

जिवाणुनाशक पहाड़ियों का पर्यावरण बड़ा नाजूक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार वि. व. बैंक की सहायता से समेकित वाटर भौंड विकास (पहाड़ी) परियोजना, जिसे 'कण्डी परियोजना' के नाम से जाना जाता है, को लागू कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार ने बाढ़ सम्भावित घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र में समेकित वाटर भौंड प्रबन्ध परियोजना को मंजूरी दे

दी है जो कि 16 करोड़ रुपये की लागत से आगामी 5 वर्षों में लागू कर दी जाएगी।

10. राज्य में परम्परागत फसलों का उत्पादन अधिकतम स्तर पर पहुंचने को है इसलिए यह महसूस किया जा रहा है कि अब बागबानी और फूलों की खेती की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मेरी सरकार ने सब्जियों और फलों के अच्छी किस्म के बीज और पौधे उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं जिन के परिणामस्वरूप इनकी खेती कुल क्षेत्र, वर्ष 1992-93 में 15,300 हैक्टेयर से बढ़कर 16,700 हैक्टेयर हो जाएगा। हरियाणा अधिक सब्जी उत्पादक राज्य है और वर्ष 1993-94 के अन्त तक इनका उत्पादन 7.5 लाख टन हो जाएगा।

हरियाणा में खुंभी उत्पादन जैसे नए क्षेत्रों की संभावना के दृष्टिगत इनके उत्पादन को बढ़ावा दिया है और खुंभी उत्पादन में हरियाणा का देश में एक प्रमुख स्थान बन गया है। खुंभी बीज की कमी को पूरा करने के लिए मुरथल में खुंभी-पौध उत्पादन एवं परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। विविधीकरण के अगले चरण के रूप में बड़े पैमाने पर फूलों की खेती करने का लक्ष्य है क्योंकि इसकी बहुत वाणिज्यिक उपयोगिता है। हरियाणा कृषि उद्योग निगम की सहायता प्राप्त 11.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कटपलावर की एक प्रस्तावित महत्वाकांक्षी निर्यात-मुखी परियोजना बन जाने से हरियाणा का

नाम फूलों के निर्यात मानचित्र पर आ जाएगा। आ ता है कि वर्ष 1994-95 में 1,500 हैक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती की जाएगी।

11. राज्य में सिंचाई की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार जल संरक्षण, जल प्रबन्ध और सिंचाई पद्धतियों के आधुनिकीकरण, सुधार और विस्तार की ओर खास ध्यान दे रही है। खालों को पक्का करने के लिए वर्ष 1993-94 में 35.2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस के तहत 200 लाख वर्ग फुट खालों को पक्का किए जाने की संभावना है जिस से 110 क्यूसेक जल की बचत होगी और 32,000 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। इसके अतिरिक्त वि व बैंक की सहायता से चलाई जा रही जल संसाधन दृढ़ीकरण परियोजना के तहत विभाग द्वारा नहरों की मरम्मत करके उनका सुधार किया जा रहा है। इस परियोजना में भोश नहरों को पक्का करना, रिसाव रोकने के लिए भूमि-तल जल निष्कासन, खारेपन से प्रभावित भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाना और मीठे पानी के क्षेत्र को रिचार्ज करना शामिल है। वि व बैंक इस परियोजना के लिए लगभग 800 करोड़ रुपये की सहायता देगा।

मेरी सरकार किसानों की, चाहे वे राज्य के किसी भी हिस्से में रहते हों, सिंचाई के लिए पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं। इसके लिए पर्याप्त साधन जुटाए जाएंगे और उन्हें पानी उपलब्ध करवाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

12. मानसून के दौरान बहुत ही कम वर्षा तथा भीतकालीन वर्षा की देरी के कारण वर्ष के दौरान बिजली के क्षेत्र में कठिनाई का सामना करना पड़ा। कृषिकार्य के लिए पूर्णतः बिजली-चालित नलकूपों पर ही निर्भर रहना पड़ा। पानी के अभूतपूर्व कम आगम के कारण भाखड़ा-बांध का जलाय स्तर पिछले वर्ष के मुकाबले बहुत कम रहा। इन कठिनाइयों के बावजूद, औद्योगिक तथा भाहरी क्षेत्रों में कटौती करके कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई। विशेष प्रयासों के परिणामस्वरूप पारेक्षण तथा वितरण हानि वर्ष 1991-92 में 27.3 प्रतिशत से घटकर 1992-93 में 25.2 प्रतिशत और चालू वर्ष में 23.9 प्रतिशत रह गई।

बिजली सप्लाई में सुधार लाने के लिए, वर्ष के दौरान पारेक्षण तथा वितरण प्रणाली का पर्याप्त विस्तार किया गया। अब तक एक नया 220 के0वी0 उप-केन्द्र, दो 66 के0वी0 उप-केन्द्र और 8 नए 33 के0वी0 उप-केन्द्र चालू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 35 पुराने उप-केन्द्रों की क्षमता बढ़ा दी गई है।

राज्य सरकार और अधिक बिजली उत्पादन की आवश्यकता को उच्च प्राथमिकता देती रही है। 840 मैगावाट यमुनानगर ताप परियोजना के निष्पादन के लिए वित्तीय सहयोग हेतु विदेशी निवेशकों के साथ बातचीत चल रही है। एन0टी0पी0सी0 ने फरीदाबाद में 400 मैगावाट गैस-आधारित ताप संयन्त्र के लिए प्रो0ई0सी0एफ0 जापान से वित्तीय सहयोग को भी

अन्तिम रूप दे दिया है। हिसार में 1000 मैगावाट ताप बिजली घर बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के निजी सहयोग के लिए विचार-विमर्श चल रहा है। साथ-साथ पानीपत ताप घर में 210 मैगावाट के छठे यूनिट का निर्माण चल रहा है।

बिजली के क्षेत्र में मेरी सरकार के सामने आने वाली समस्या इस कारण और भी बढ़ गई थी कि पिछली सरकार ने न तो बिजली उत्पादन को बढ़ाने की और विशेष ध्यान दिया और न ही आने कार्यकाल से आगे के लिए सोचा। जबकि विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की हमारी बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर इसको सख्त जरूरत थी। मेरी सरकार राज्य में अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता के लिए सभी सम्भव विकल्पों पर विचार कर रही है। इस के लिए सभी उपलब्ध स्रोतों से धनराशि जुटाई जाएगी।

13. सहकारी क्षेत्र में बाढ़ और सूखे के दौरान किसानों को पेना आने वाली कठिनाइयों का हल करने के लिए सहकारी बैंकों ने 28.4 करोड़ रुपये के अल्पकालिक ऋणों की भुगतान की अवधि बढ़ा दी। गैर-कृषि वित्त योजना के तहत बैंकों ने 24 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज दिए और इससे लगभग 13,500 व्यक्तियों को रोजगार मिला। दिसम्बर, 1993 तक सहकारी बैंक अनुसूचित जातियों/पिछड़ी श्रेणियों के लोगों और ग्रामीण कारीगरी को 123 करोड़ रुपये के कर्ज दे चुके हैं। इसी प्रकार वर्ष के दौरान कृषि के विकास के लिए दिए जाने वाली लम्बी अवधि के ऋणों की राशि 100 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की

आ ता है। इसके साथ साथ सरकार वसूली की स्थिति में भी सुधार लाने की कोशिश कर रही है।

14. मेरी सरकार ने पशुधन का सुधार और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति दूध की लभ्यता 601 आम हो गई है। सरकार ने पशुधन की बेहतर देखभाल के लिए प्रत्येक पटवार सर्कल में पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियां खोलने के सिद्धांत को अपना लिया है। जिला मुख्यालयों में पालिक्लिनिक खोलने का भी निर्णय लिया गया है। उनमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 200 नई पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियां खोलने के अतिरिक्त 10 स्टाकमैन केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें हस्पताल एवं प्रजनन केन्द्र बनाया गया है। अनुसूचित जाति के परिवारों के पशुओं के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

15. मेरी सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करके तथा उत्पादन स्तर में सुधार लाकर गरीबी दूर करने के भरसक प्रयास कर रही है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 15 हजार गरीब लाभार्थियों की सहायता की गई। "ट्राइसम" के अन्तर्गत, 3380 ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया गया। दिसम्बर, 1993 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 12 लाख श्रम-दिवस जुटाये गये। कृषि की मन्दी के दिनों में लाभकारी रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से पहली नवम्बर, 1993 को एक नई 'सुनिश्चित रोजगार योजना' भुरु की

गई। इस स्कीम के अन्तर्गत, 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले जरूरतमंद व्यक्तियों को साल में 100 दिन के रोजगार का आवासन दिया जाएगा। इस समय यह स्कीम 44 खंडों में क्रियान्वित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए "डंवाकरा" (डी0डब्ल्यू0सी0आर0) कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।

मेरी सरकार पिछड़े क्षेत्रों का समन्वित विकास करना चाहती है ताकि उन क्षेत्रों को मुख्य धारा में लाया जा सके। इसके मद्देनजर जिला अम्बाला और यमुनानगर के पर्वतीय और अर्ध-पर्वतीय क्षेत्रों के समूचे विकास के लिए पिछले साल मुख्य मन्त्री, हरियाणा की अध्यक्षता में रिवाजिक विकास बोर्ड की स्थापना की गई।

16. भारत के सामाजिक-राजनैतिक वातावरण में निम्नतम स्तर पर लोगों की आम जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने की सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए पंचायतें ही मुख्य एजेंसी हैं। अपने समाज के प्रजातांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए, संविधान (73वां) संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को और सुदृढ़ बना दिया गया है। इससे अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों को और महिलाओं को निम्नतम स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसलिए एक नया पंचायती राज अधिनियम बनाया जा रहा है।

17. मेरी सरकार नई प्रौद्योगिकी आरम्भ करने और जनता में विज्ञान के प्रति रुझान बनाने की आवश्यकता के बारे में पूर्णतः जागरूक है। अतः कृषि उद्योग के क्षेत्र में जनता के लिए उपयोगी नई प्रौद्योगिकी पता लगाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। राष्ट्रीय समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग पर बल दिया जा रहा है और अब यह कार्यक्रम 20 खण्डों में चल रहा है। योजना आयोग ने चालू वर्ष में इस कार्यक्रम को गहन रूप से लागू करने के लिए सोनीपत जिले के खरखौदा खण्ड को चुना है। अम्बाला जिला के मोरनी खण्ड में गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करने तथा निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए सौर लालटेनें उपलब्ध करवाने के लिए विशेष परियोजना आरम्भ की गई है। भारत सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने 91 लाख रुपये की लागत से राष्ट्रीय संसाधन आंकड़ा प्रबन्ध प्रणाली लागू करने के लिए एक परियोजना अनुमोदित की है। राज्य सरकार ने भारत सरकार के संगठन, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के सहयोग से हिसार में उप-प्रादेशिक विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।

18. वर्ष 1993-94 के दौरान हमने राज्य के तीव्र औद्योगिक विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। अप्रैल, 1992 वाली औद्योगिक नीति को, विशेषकर आर्थिक प्रोत्साहनों के संबंध में, अधिक उदार बना दिया गया है।

राज्य के वर्तमान औद्योगिक ढांचे को देश भर में सर्वोत्तम ढांचों में से एक माना गया है। तथापि हम इसे और मजबूत बनाने और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बावल और अम्बाला में दो विकास केन्द्रों को विकसित करने का काम पूरी तनदेही से भूखण्डित कर दिया गया है। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में 5-5 करोड़ रुपये की लागत से चार लघु विकास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। भारत सरकार ने जिला गुड़गांव में मानेसर के पास जापानी सहयोग से एक आदर्श औद्योगिक नगर की स्थापना की मंजूरी दे दी है। इस नगर में भारत तथा विदेशों से अधिक पूंजी निवेश प्राप्त होने के इलावा, औद्योगिक उत्पादन के प्रायः सभी क्षेत्रों में संरचनात्मक विकास और नवीनतम प्रौद्योगिकी के नये कीर्तिमान स्थापित होंगे।

उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार द्वारा उठाए गए नये कदमों के परिणामस्वरूप उद्यमियों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहवर्धक रही है। वर्ष 1993-94 के दौरान उद्यमियों ने हरियाणा में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भारत सरकार को 187 औद्योगिक उद्यम ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। राज्य में वर्ष के दौरान, बड़े तथा मध्यम क्षेत्र में 45 यूनिट लगाए गए हैं, जिससे ऐसे यूनिटों की कुल संख्या 590 हो गई है। हरियाणा राज्य उद्योग विकास निगम ने इस साल 10 ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं जिन पर लगभग 108 करोड़ रुपये का निवेश होगा। औद्योगिक

विकास के क्षेत्र में खाद्य संसाधन तथा कृषि-उद्योग को विशेष स्थान दिया गया है। हरियाणा कृषि उद्योग निगम ने राज्य में कृषि-आधारित उद्योग लगाने के लिए 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं जिन पर लगभग 58 करोड़ रुपये का निवेश होगा। राज्य सरकार ने 18-35 वर्ष के आयु-वर्ग के शिक्षित युवकों को रोजगार देने के लिए नवम्बर, 1993, में प्रधान मन्त्री रोजगार योजना भी आरम्भ की है। इस स्कीम के अन्तर्गत 450 युवकों को स्वरोजगार के लिए ऋण मंजूर किए गए हैं। इस स्कीम से आने वाले वर्षों में बेरोजगार युवकों को लघु उद्योग लगाकर अच्छी आजीविका अर्जन में सहायता मिलेगी।

19. इलैक्ट्रॉनिक उद्योग के कारण रोजगार के बहुत अवसर प्राप्त हो सकते हैं और यह आधुनिक उच्च तकनीकी उद्योग की आधारशिला है। हरियाणा में इलैक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास की गति को तेज करने के लिए हरद्वान, हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण के साथ मिल कर गुड़गांव में 40 एकड़ क्षेत्र में एक "इलैक्ट्रॉनिक सिटी" की स्थापना भी कर रहा है। गुड़गांव में इलैक्ट्रॉनिक सिटी और इलैक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना से आने वाले वर्षों में 5000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है। ग्रामीण लड़कियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देने के लिए हरद्वान ने हिसार में एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की है जिसमें 150 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से गुड़गांव में इलैक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए "प्रिसिजन

मकैनिकल डिजाइन एण्ड एप्रोप्रिएटिड फ़ैसिलीटीज'' नामक नई परियोजना भुरु की गई जिसक लिए यू0एन0डी0पी0 की तरफ से 2.32 मिलियन डालर की सहायता मिलेगी।

राज्य में विभिन्न परियोजनाओं में विदे ि सहयोग और उन दे ाों की सरकारों तथा लोगों के साथ अधिक मेल-जोल की संभावना के मददेनजर यह महसूस किया गया है कि हमें जापानी तथा जर्मन जैसी विदे ि भाशाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहिए। राज्य में विदे ि भाशाओं को पढ़ाने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। आगामी वर्ष राज्य में इस के लिए एक केन्द्र भुरु किया जाएगा।

20. तीव्र उद्योगीकरण के प्रयासों के साथ साथ उद्योग की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वि ेश तकनीकी प्रि ाक्षण प्राप्त व्यक्ति भी पर्याप्त संख्या में तुरन्त उपलब्ध करवाना अत्याव यक हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मेरी सरकार राज्य में तकनीकी ि ाक्षा सुविधाओं के विस्तार, सुधार तथा आधुनिकीकरण का प्रयत्न कर रही है। राज्य में डिग्री तथा डिप्लोमा स्तर के 25 संस्थान स्थापित किए गए हैं जिनमें प्रति वर्ष 3800 से अधिक विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाता है। वि व बैंक परियोजना के अन्तर्गत, अब 32 करोड़ रूपये की लागत से चार नए पालिटैक्निक संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं तथा 12 संस्थानों को सुदृढ़ तथा आधुनिक बनाया जा रहा है। राज्य

सरकार ने हिसार में एक नया इंजीनियरिंग कालेज खोलने का भी निर्णय लिया है।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण क्षेत्र तकनीकी शिक्षा के लाभ से वंचित न रह जाएं और वे औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों के लिए आवश्यक तकनीकी जनशक्ति भी प्रदान कर सकें, राज्य के 8 पालिटैक्निक संस्थानों को सामुदायिक पालिटैक्निक घोषित किया गया है। यह संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए तकनीकी अन्तरण को बढ़ावा देते हैं।

21. उद्यम को प्रोत्साहन देने और उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, मेरी सरकार ने राज्य में 140 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में युवकों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने पर बल दिया है। रिवाजिक विकास बोर्ड की वित्तीय सहायता से कालका, बरवाला और सढौरा में तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1994-95 के दौरान, राज्य में 10 नए व्यावसायिक शिक्षा संस्थान खोलने का प्रस्ताव है।

22. मेरी सरकार बेराजगारी कर समस्या से अवगत है और इसलिए स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन देने की नीति बनाई है। "एक परिवार एक रोजगार" स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार ऐसे पांच लाख व्यक्तियों को रोजगार के

अवसर प्रदान करेगी जिनके परिवार का कोई भी सदस्य रोजगार में नहीं है।

23. मेरी सरकार कर प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता के प्रति सदैव जागरूक रही है और बिक्री-कर के क्षेत्र में एक नई योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत छोटे व्यापारियों को कुल बिक्री की घोशणा और एकमु त कर की अदायगी करनी पड़ेगी। इस स्कीम के अन्तर्गत ऐसे सभी व्यापारी आ जाएंगे जिनकी वार्षिक बिक्री पांच लाख रुपये अथवा उससे कम हो और इससे व्यापारी को ब्योरेवार लेखा-जोखा रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रस्तावित उपाय से कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यभार बहुत कम हो जाएगा तथा अधिक कुल बिक्री वाले व्यापारियों की ओर ज्यादा ध्यान देना सम्भव होगा। जिलों के अन्दरूनी मार्गों पर यात्री सेवाएं चलाने के लिए अनुमोदन प्राप्त व्यक्ति भी एकमु त अदायगी की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

24. मेरी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारने की ओर विशेष ध्यान दे रही है ताकि जन साधारण को सभी आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में नियन्त्रित दरों पर मिल सकें। इस समय 7354 उचित दाम की दुकानें राज्य के लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर रही है।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य केन्द्रीय पूल में अपनी प्रतिबद्धता से

अधिक चावल दे रहा है। चालू वर्ष राज्य, केन्द्रीय पूल में 11.6 लाख टन चावल देगा।

हरियाणा के लागों के उपभोक्ता-हितों को देखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 1989 में चण्डीगढ़ में एक उपभोक्ता िकायत निवारण आयोग का गठन किया। इस वर्ष गुड़गांव और कैथल के जिला फोरमों को पूर्णकालिक बना दिया गया है। सरकार अन्य अं कालिक फोरमों को पूर्णकालिक बनाने के बारे भी विचार कर रही है।

25. मेरी सरकार "2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चिकित्सा सेवाओं के विस्तार, विकास और उसमें सुधार लाने का प्रयास कर रही है।

माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षण तथा परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार हुआ है। वि व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 250 उप-केन्द्र भवनों का निर्माण हो चुका है और आगामी दो वर्षों में 200 और उप-केन्द्र भवनों का निर्माण पूरा हो जाने की सम्भावना है। राज्य में एक नया मैडिकल कालेज खुलने की सम्भावना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कु ालता में सुधार लाने और उनकी अभिरुची बढ़ाने के लिए जिला प्र िक्षण टीमों व्यावसायिक प्र िक्षण प्रदान कर रही है। इसमें ि ा मृत्यु-दर और जन्म-दर कम हो जाने की सम्भावना है। एड्ज के नियन्त्रण के लिए ब्लड बैंक सेवाओं में सुधार कर

दिया गया है ताकि उचित परीक्षण के बिना खून न चढ़ाया जा सके। अगले साल जनता को इस भयानक रोग के संबंध में शिक्षित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत दी जा रही सेवाओं को सुदृढ़ करने और उनके विकास के लिए दस नई डिस्पेंसरियां खोलने का प्रस्ताव है। पंचकूला में हरियाणा वैकल्पिक चिकित्सा तथा अनुसन्धान संस्थान नामक एक स्वायत्त संगठन की स्थापना की गई है। हाल ही में हरियाणा वैकल्पिक चिकित्सा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद्, पंचकूला के तत्वावधान में एक विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

26. मेरी सरकार यह महसूस करती है कि शिक्षा मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाते हुए मेरी सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाने, भात-प्रति भात प्रौढ़ साक्षरता का ध्येय प्राप्त करने, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने तथा बढ़िया स्तर की शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में अब जरूरत केवल प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करवाना ही नहीं, बल्कि शिक्षा के स्तर में भी सुधार लाना जरूरी है। राज्य सरकार इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना चाहती है जिससे बच्चा एक पूर्ण संतुलित व्यक्ति बनने के साथ-साथ तकनीकी प्रशिक्षण से अपनी रोजी-रोटी भी कमा सके।

शिक्षा की सुविधाओं के प्रसारके लिए बरवाला में एक राजकीय महाविद्यालय और अम्बाला तथा पानीपत जिलों में दो गैर-सरकारी महाविद्यालय खोले गए हैं। राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न निर्माण-कार्यों के लिए 1.65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के लिए वर्ष 1992-93 में 4.78 लाख अतिरिक्त बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में दाखिल किया गया। प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिले की दर 1990 में 87 प्रति शत से बढ़कर अब भात-प्रति शत हो गई है। अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रतिवर्ष 4.5 करोड़ रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही है।

सभी स्तरों पर विद्यार्थियों को शिक्षा सुविधाएं सुलभ करवाने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि में 100 स्कूल प्रतिवर्ष के हिसाब से 500 नए स्कूल खोले जाएंगे। वर्ष 1993-94 में 33 विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया गया। वर्ष 1993-94 के दौरान 213.64 लाख रुपये की लागत से 401 विद्यालय-भवनों की मरम्मत करवाई गई और 287 श्रेणी कक्ष बनवाए गए।

राज्य में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भात-प्रति शत साक्षरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 8

जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान भुरु किया गया है। सभी 16 जिलों को पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है। पानीपत जिला, साक्षरता अभियान के अगले चरण में है।

औपचारिक शिक्षा पाने में असमर्थ बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयोजनार्थ मेरी सरकार का ओपन स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। अगले वर्ष इस स्कूल में पढ़ाई भुरु हो जाने की सम्भावना है।

बच्चों पर शिक्षा के भार को कम करने और उनका सर्वतोमुखी विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से पाठ्यक्रम में संशोधन करने और पाठ्यपुस्तकों को सामाजिक तौर पर उपयुक्त, रोचक, सहज, आकर्षक बनाने और उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए एक अलग कक्ष बनाया गया है। जीवन में मूल मानव मूल्यों को साकार करने तथा नैतिक आचार का महत्व समझाने के लिए मेरी सरकार ने स्कूलों में "नैतिक" शिक्षा देने का निर्णय लिया है।

राज्य के उत्साही ग्रामीण युवकों की क्षमताओं की उपयोग में लाने की दृष्टि से मेरी सरकार ने व्यापक खेल सुविधाएं, उच्च कोटि का प्रशिक्षण तथा प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करके खेलों को प्रोत्साहन देने के भरसक प्रयास किए हैं। खेलों में अधिक लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए

सरकार स्कूलों तथा कालेजों में भारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विशय के रूप में रखने पर विचार कर रही है। हमारे खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में, जिनमें हाल ही में ढाका में हुई एस0एस0एफ0 खेलें भी शामिल हैं, राज्य के लिए बहुत ख्याति अर्जित की है।

गर्व की बात है कि माऊंट एवरैस्ट पर दो बार चढ़ने वाली सबसे कम आयु की महिला सुश्री सन्तोश यादव रिवाड़ी की ही है। हरियाणा में श्री कपिल देव पे 432 टैस्ट विकेट लेकर सर रिचर्ड हैडली के विव कीर्तिमान को तोड़ा है जिसके लिए न केवल हरियाणा को बल्कि सारे देश को गर्व है। हरियाणा सरकार ने पहली मार्च, 1994 को उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है। “देव स्पोर्ट्स फाउण्डेशन” नामक क्रिकेट अकेडमी बनाने के लिए राई (सोनीपत) में 8 एकड़ भूमि देने का निर्णय ले चुकी है।

28. मेरी सरकार बढ़िया और सुरक्षित सड़कों उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्य राजमार्गों के सुधार की ओर विशेष ध्यान दे रही है। गत अढ़ाई वर्षों में 402 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं, 6166 किलोमीटर पुरानी सड़कों पर नवीकरण परत बिछाई गई है और 757 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करके सुधारा गया है। अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बीच-बीच में जहां पक्की सड़कें नहीं बनी हुई हैं, वहां पक्की सड़कें बनाई जाएं और अंतिम चरणों में चल रहे निर्माणकार्यों को पूरा किया जाए। वर्ष 1992-93 में राष्ट्रीय

राजमार्ग संख्या 1 का 25 किलोमीटर चारमार्गी रास्ता यातायात के लिए खोल दिया गया है तथा जून, 1994 तक 50 किलोमीटर और सड़क पूरी हो जाने की सम्भावना है। गुड़गांव से राजस्थान सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चारमार्गी बनाने की परियोजना एि ायाई विकास बैंक द्वारा अनुमोदित कर दी गई है और रोहतक से फतेहाबाद और बहादूरगढ़ से रोहतक की सड़कों के लिए दी अन्य परियोजनाए वि व बैंक की सहायता के लिए प्रस्तुत कर दी गई है। 437 करोड़ रुपये की लागत वाली 811 किलोमीटर की लम्बाई की राज्य सड़क परियोजना वि व बैंक द्वारा सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार कर ली गई है।

हरिणाणा स्थित राष्ट्रीय राजमार्गी के कुछ भाग समूचे उत्तर भारत और राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग हैं और इसलिए उन्हें दे ा के व्यस्ततम मार्गी में गिना जाता है। इन सड़कों पर बढ़ रही दुर्घटनाओं और यातायात में होने वाली रूकावटों से राज्य सरकार चिन्तित है। अम्बाला-दिल्ली मार्ग पर भारी यातायात को कम करने के लिए यमुनानगर और दिल्ली के बीच एक नया "एक्सप्रेस हाईवे" बनाने का प्रस्ताव है। जल्द ही इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन किया जायेगा।

राजमार्गी पर आधुनिक यातायात प्रबन्ध प्रणाली लागू करने के लिए पुलिस, परिवहन और लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभागों के लिए एक कार्य-योजना तैयार की जा रही है। इस कार्य योजना के तहत विभिन्न प्रचार साधनों द्वारा जनता को

यातायात के नियमों के बारे में शिक्षित करने, यातायात और सड़क सुरक्षा नियमों तथा पर्यावरण के मानकों को सख्ती से लागू करने, राजमार्गों पर समेकित सेवा केन्द्रों का उपलब्ध करने और आधुनिक उपकरणों के द्वारा विनियमन करने और सड़क इंजीनियरिंग पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया जाएगा। बच्चों में यातायात के नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति को बनाने के लिए स्कूलों के पाठ्यक्रमों में यातायात से सम्बन्धित शिक्षा को शामिल करने और राज्य में बाल यातायात पार्क बनाने की भी योजना है। यातायात प्रबन्ध के सभी स्तरों पर नागरिकों की सक्रिय-भागीदारी को सुनिश्चित करना इस कार्य योजना का लक्ष्य है ताकि इसे लोक अभियान बनाया जा सके।

29. मार्च, 1992 में राज्य के सभी 6745 गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अब मेरी सरकार जल वितरण के स्तर को बढ़ाने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है। इस लक्ष्य की दिशा में वर्ष 1993-93 के दौरान 334 गांवों में पानी की सप्लाई में सुधार हुआ है। आशा है कि चालू वित्त वर्ष और वर्ष 1994-95 के दौरान 800-800 गांवों की जल वितरण की स्थिति में सुधार कर दिया जाएगा। बड़े गांवों में 110 लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन जल मुहैया करवाने के लिए पिछले साल भुरु की गई एक नई योजना के तहत 9 बड़े गांवों में काम भुरु कर दिया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत वैज्ञानिक जल-निष्कासन की व्यवस्था की जाएगी। यह भी

निर्णय लिया गया है कि जिन ढाणियों में अभी तक स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, उन को भी 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह सुविधा दे दी जाए।

तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के कारण भाहरी क्षेत्रों में जल वितरण और सफाई की सुविधाओं में विस्तार एक चुनौती बन गई है। इन सुविधाओं में सुधार हेतु चालू वर्ष के लिए 10.9 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि वर्ष 1992-93 में इस प्रयोजनार्थ 9.8 करोड़ रुपये का प्रावधान था। जींद, टोहाना और हिसार भाहरों में बरसाती जल निष्कासन के लिए काम शुरू किया गया है एवं आने वाले वर्षों में और भी भाहरों के अन्दर यह प्रोग्राम लागू कर दिया जाएगा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा बराबर खर्च के आधार पर मल निपटान के लिए हिसार भाहर में एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

30. हरियाणा पर्यटन के क्षेत्र में नवीनतम धारणाएं और नीतियां अपनाने में अग्रणी राज्य रहा है। मेरी सरकार इस गति को कायम रखते हुए पर्यटन सुविधाओं में सुधार और विस्तार करने का प्रयास कर रही है। आगामी वर्ष के दौरान हांसी, डबवाली, पेहोवा, मोरनी, हथनीकुण्ड और मल्लाह में नए कॉम्प्लैक्स विकसित किए जाएंगे। चालू वर्ष के दौरान, पंचकूला और फतेहाबाद में दो पर्यटन कैम्पलैक्स चालू किए गए हैं और हिसार, यमुनानगर तथा राई में नए पर्यटन कैम्पलैक्स बन रहे हैं। गांव की

जनता को लाभ पहुंचाने और अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से हरियाणा पर्यटन विभाग जब ग्रामीण-पर्यटन और सांस्कृतिक-पर्यटन पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। राई की "एथनिक इंडिया" नामक एक परियोजना इस दिशा में एक कदम है।

31. कुशल, सुरक्षित तथा आत्मनिर्भर परिवहन-सेवा विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य आधारभूत अंग है। हरियाणा परिवहन सेवा की सर्वोत्तम परिवहन सेवाओं में से है। वर्ष 1993-93 के दौरान इसने 7.1 करोड़ रुपये का कुल मुनाफा कमाया और सरकार के लिए कुल 107 करोड़ रुपये का संसाधन जुटाया। इसके अतिरिक्त इसने जनता को उत्तम बस सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए "एक्सप्रेस बस" सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित किया है। वर्ष 1993-93 के दौरान आरम्भ की गई ये सेवाएं बहुत सफल रही हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान लगभग 300 और एक्सप्रेस बसें चलाने की योजना है।

सरकार ने नौकरियों के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने तथा राजस्व के आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र का सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से बेरोजगार युवकों की सहकारी समितियों (जिसमें कम से कम पांच सदस्य हों) को जिलों के अन्दर योजक मार्गों पर बसें चलाने के लिए परमिट देने का निर्णय लिया है, बशर्ते कि इन रूटों के अन्तर्गत राष्ट्रीय और राज्य मार्गों का 10 किलोमीटर से अधिक हिस्सा न आवे।

32. आवास के क्षेत्र में राज्य सरकार कम लागत के बढ़िया मकान उपलब्ध कराने और आर्थिक तौर से कमजोर व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने का उद्देश्य रखती है। बहादुरगढ़ में स्थापित की जाने वाली एक निदेशित परियोजना के लिए "हुडको" की व्यापक डिजाइन सेवा की सहायता से कम लागत की नई तकनीक तथा सामग्री का इस्तेमाल करने का विचार है। हुडको की वित्तीय सहायता से निर्धनों और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए 6 एकड़ भूमि पर 300 भवनों का निर्माण भी किया जाएगा।

33. योजनाबद्ध भाहरी विकास द्वारा उपयुक्त परिवारों को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण द्वारा चालू वित्त वर्ष में 8 नए रिहायशी और 3 औद्योगिक सैक्टर शुरू किए गए हैं।

34. पर्यावरण के संरक्षण तथा बंजर भूमि-सुधार के लिए वनों का विकास अनिवार्य है। इसलिए अरावली पहाड़ियों में वृक्षारोपण कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जा रहा है।

खारी और रेतीली भूमि के विकास के लिए समेकित बंजर भूमि विकास स्कीम में महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार और करनाल जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। चारे की फलीदार किस्मों पर विशेष बल देते हुए चरागाहों का विकास करना इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है।

35. मेरी सरकार ने एक अग्रगामी कदम उठाते हुए स्वस्थ और प्रदूषण रहित पर्यावरण बनाने के लिए पर्यावरण अदालतों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत मामलों के भीघ्र निपटान के लिए ये अदालतें अम्बाला, रोहतक और हिसार में स्थापित की जाएंगी। राज्य के एक हजार स्कूलों में पर्यावरण क्लब तथा हिसार और रोहतक जिलों में पर्यावरण वाहिनी की स्थापना, कृषि और औद्योगिक अवेशों का पुनः प्रयोग, पलाई ऐा से ईंटे बनाना जैसे कई अन्य कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यावरण सम्बन्धी गतिविधियों में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित करना हमारा लक्ष्य है। राज्य प्रदूषण बोर्ड के प्रयासों से 578 औद्योगिक यूनिटों ने मल भाोधन संयंत्र लगाने और 427 यूनिटों ने वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपाय करने के लिए कदम उठाये हैं।

36. माननीय सदस्यगण, मैंने अपनी सरकार के नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण और भावी प्रोग्रामों को संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे आता है कि आप इन अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श करके राज्य के समक्ष समस्याओं को सुलझाने में सहायता करेंगे और इस तरह राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गति को तेज करने और जनता के कल्याण में पूर्ण योगदान देंगे।

जयहिन्द।''

भाक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, the Chief Minister will make obituary references.

श्री चिडनभाई पटेल, गुजरात के मुख्य मंत्री

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह सदन गुजरात के मुख्य मंत्री श्री चिडनभाई पटेल के 17 फरवरी, 1994 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाक प्रकट करता है।

उनका जन्ड 3 जून, 1929 को हुआ। वह वर्ष 1967 से 1974 तक तथा पुनः 1980 से अपने निधन तक गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1972 से 1973 तक गुजरात में मंत्री रहे तथा वर्ष 1973 में मुख्य मंत्री बने। वह वर्ष 1985 से 1990 तक विपक्ष के नेता रहे। वह वर्ष 1990 में दुबारा गुजरात के मुख्य मंत्री बने।

उनके निधन से देा एक योग्य प्रशासक तथा एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री एच0एम0 पटेल, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री

अध्यक्ष महोदय, यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री एच०एम० पटेल के 30 नवम्बर, 1993 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाव प्रकट करता है।

उनका जन्म 27 अगस्त, 1904 को हुआ। वह एक आई०सी०एस० अधिकारी थे तथा उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वह वर्ष 1967 से 1971 तक गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1971, 1977 तथा 1984 में लोक सभा के लिए चुने गये। वह वर्ष 1977 से 1978 तक केन्द्रीय मंत्री रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक तथा एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाव-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री हितेन्द्र देसाई, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री

अध्यक्ष महोदय, यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री हितेन्द्र देसाई के 12 सितम्बर, 1993 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाव प्रकट करता है।

उनका जन्म 1915 को हुआ। उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया तथा जेल में भी रहे। वह वर्ष 1957 से 1960 तक बम्बई विधान सभा के सदस्य रहे। वह बम्बई राज्य में मंत्री भी थे। वह वर्ष 1960 से 1971 तक गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे। वह गुजरात राज्य में मंत्री पद पर रहे। वह वर्ष 1965

में मुख्य मंत्री बने तथा वर्ष 1971 तक इस पद पर रहे। वह वर्ष 1977 से 1979 तक लोक सभा के सदस्य थे। वह वर्ष 1976 से 1977 तक तथा वर्ष 1979 से 1980 तक केन्द्र में मंत्री रहे।

उनके निधन से देश एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी, एक योग्य प्रशासक तथा एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री राजमंगल पांडे, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री

अध्यक्ष महोदय, यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री राजमंगल पांडे के 23 नवम्बर, 1993 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 10 मई, 1920 को हुआ। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया तथा जेल में भी रहे। वह वर्ष 1969 से 1984 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे। वह उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे। वह वर्ष 1984 से 1991 तक लोक सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1990 में केन्द्रीय मंत्री भी रहे।

उनके निधन से देश एक प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी, एक योग्य प्रशासक तथा एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री समरेन्द्र कुंडू, भूतपूर्व राज्य मंत्री

अध्यक्ष महोदय, यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री समरेन्द्र कुंडू के 6 दिसम्बर, 1993 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 5 अक्टूबर, 1930 को हुआ। वह व्यवसाय से एक वकील थे। उन्होंने उड़ीसा उच्च न्यायालय में वकालत की। वह लोक सभा के लिए दो बार, वर्ष 1977 तथा 1989 में, चुने गये। वह वर्ष 1977 से 1979 तक केन्द्रीय राज्य मन्त्री रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री

अध्यक्ष महोदय, यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री पी० वेंकटसुब्बैया के 12 अक्टूबर, 1993 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 18 जून, 1921 को हुआ। उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया। वह वर्ष 1949 से 1952 तक मद्रास विधान सभा तथा वर्ष 1957 से 1977 व 1978 से 1984 तक लोक सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1980 से 1984 तक केन्द्रीय

राज्य मंत्री रहे। वह वर्ष 1985 से 1988 तक बिहार राज्य तथा वर्ष 1988 से 1990 तक कर्नाटक राज्य के राज्यपाल रहे। उनका अनेक सहकारी तथा शिक्षा संस्थाओं से भी सम्बन्ध रहा।

उनके निधन से देश एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी, एक योग्य प्रशासक तथा एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री जे०आर०डी० टाडा, महान् उद्योगपति

अध्यक्ष महोदय, यह सदन महान् उद्योगपति श्री जे०आर०डी० टाडा के 29 नवम्बर, 1993 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 29 जुलाई, 1904 को हुआ। उनका जीवन बहुमुखी था। उन्होंने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 50 वर्ष से भी अधिक समय तक भारतीय उद्योग से जुड़े रहे। विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने में, विशेष रूप से इस्पात तथा सिविल एविएशन के क्षेत्रों में, उनका योगदान बहुमूल्य रहा।

उन्होंने विधान सभा को बहुत बढ़ावा दिया और अनेक संस्थाओं को प्रोत्साहित किया। वह भारतीय विधान संस्थान तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष रहे। उन्होंने श्री होमी जे० भामा के सहयोग से टाटा इन्स्टीच्यूट ऑफ

फण्डामैण्टल रिसर्च की स्थापना करवाई जो भारत के अणु- शक्ति कार्यक्रम का आधार-स्तम्भ है। वह देश के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्रों में भी उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने बहुत सी धर्मार्थ और शिक्षा तथा परोपकारी तथा संस्थाएं स्थापित की जिनमें प्रसिद्ध टाटा मैमोरियल केन्सर अस्पताल भी शामिल है।

उन्हें बहुत से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 1992 में उन्हें "भारत रत्न" से अलंकृत किया गया।

उनके निधन से देश ने एक ऐसे महान् उद्योगपति और देशभक्त को खो दिया है जिसने आधुनिक भारत के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अजमत खां हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री

अध्यक्ष महोदय, यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री अजमत खां के 17 जनवरी, 1994 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 23 नवम्बर, 1935 को हुआ। वह व्यवसाय से एक किसान थे। उनकी आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती में गहरी

रूचि थी। वह वर्ष 1987 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गये तथा वर्ष 1987 से 1990 तक राज्य मंत्री रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य प्रशासक तथा विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री वीरेन्द्र, प्रसिद्ध पत्रकार

अध्यक्ष महोदय, यह सदन प्रसिद्ध पत्रकार श्री वीरेन्द्र के 31 दिसम्बर, 1993 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 जनवरी, 1911 को हुआ। वह हिन्दी एवं उर्दू पत्रकारिता के आधार स्तम्भ थे। वे लाहौर से ही पत्रकारिता से जुड़ गए थे। विभाजन के बाद श्री वीरेन्द्र ने जालन्धर से दैनिक समाचार पत्र "प्रताप" (उर्दू) और "वीर अर्जून" (हिन्दी), जिसका नाम बाद में बदल कर "वीर प्रताप" कर दिया गया, का प्रकाशन शुरू किया। वह एक निडर लेखक होने के साथ-साथ एक प्रभावशाली वक्ता भी थे। उन द्वारा लिखे गये सम्पादकीय हमेशा ही पथप्रदर्शिन का काम करते थे। उन्होंने अपने सिद्धान्तों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया तथा वह कई बार जेल भी गये। वह लाहौर में काफी समय तक भाहीद भगत सिंह के साथ भी रहे।

वह आर्य प्रतिनिधि सभा की पंजाब भाखा के बहुत समय तक प्रधान रहे। वह कई सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों से जुड़े रहे और शिक्षा तथा समाज सुधार के कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी।

उनके निधन से देश एक निर्भीक लेखक एवं प्रसिद्ध पत्रकार तथा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान, तत्कालीन पैप्सू राज्य के भूतपूर्व मंत्री

अध्यक्ष महोदय, यह सदन तत्कालीन पैप्सू राज्य के भूतपूर्व मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह मान के 14 सितम्बर, 1993 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 6 जुलाई, 1916 को हुआ। वह वर्ष 1948 से 1952 तक संविधान सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1952 से 1953 तक तत्कालीन पैप्सू राज्य के वित्त मंत्री रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री दलीप सिंह कंग, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव

अध्यक्ष महोदय, यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री दलीप सिंह कंग के 8 नवम्बर, 1993 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म वर्ष 1908 में हुआ। वह व्यवसाय से वकील थे। वह श्री गोपी चन्द भार्गव तथा श्री भीम सेन सच्चर के मंत्रिमण्डलों में मुख्य संसदीय सचिव रहे। उन्होंने चण्डीगढ़ की योजना तथा निर्माण में भी योगदान दिया।

उनके निधन से दे 1 एक अनुभवी विधायक एवं प्र ासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सरदार चरण सिंह, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

अध्यक्ष महोदय, यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सरदार चरण सिंह के 15 नवम्बर, 1993 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म पहली फरवरी, 1920 को हुआ। वह वर्ष 1957 से 1962 तक संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। उनकी अनुसूचित जातियों के कल्याण में गहरी रूचि थी।

उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

मास्टर गुरचरण सिंह, संयुक्त पंजाब विधान परिशद् के भूतपूर्व सदस्य

अध्यक्ष महोदय, यह सदन संयुक्त पंजाब विधान परिशद् के भूतपूर्व सदस्य श्री मास्टर गुरचरण सिंह के 27 दिसम्बर, 1993 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

वह पंजाब विधान परिशद् के वर्ष 1954 से 1970 तक सदस्य रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री सत नारायण गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष महोदय, यह सदन सामाजिक कार्यकर्ता तथा हरियाणा के वित्त मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता के छोटे भाई श्री सत

नारायण गुप्ता के 30 अक्टूबर, 1993 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म वर्ष 1948 में हुआ। वह व्यवसाय से एक व्यापारी थे। उन्होंने अनेक प्रकार से समाज की सेवा की।

उनके निधन से राज्य एक सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री बलवंत सिंह आर्य, सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष महोदय, यह सदन सामाजिक कार्यकर्ता तथा हरियाणा के राज्य मंत्री श्री बचन सिंह आर्य के बड़े भाई श्री बलवंत सिंह आर्य के 17 फरवरी, 1993 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म वर्ष 1940 में जीन्द जिले के गांव भुसलाना में हुआ। वह धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। समाज सेवा में उनकी गहरी रूचि थी।

उनके निधन से राज्य एक सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

चौधरी ओम प्रका 1 चौटाला (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, 2 सितम्बर, 1993 को हरियाणा विधान सभा के अधिवे 1न की समाप्ति के बाद और आज तक के अर्से के बीच बहुत से अच्छे राजनेता, कई अच्छे अर्थ- शास्त्री, कई अच्छे विद्वान कई अच्छे समाजसेवी, कई अच्छे उद्योगपति और इस हाउस के सम्मानित सदस्यों से जुड़े हुए कई व्यक्ति इस संसार में नहीं रहे जिनका इस सदन के सदस्यों के साथ खसा लगाव रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसमें से एक साथी श्री चिमन भाई पटेल जी गुजरात के मुख्य मन्त्री रहे हैं, उनका निधन हो गया है। वे अच्छे विद्वान थे। राजनैतिक तौर पर मेरी उनके साथ घनिष्ठता रही है। मुख्य मन्त्री के तौर पर उन्होंने किसान वर्ग के लिए बहुत अच्छे कार्य किये हैं। वे बहुत ही अच्छे संगठन तथा उच्च कोटि के एडमिनिस्ट्रेटर थे। वे आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। परमात्मा उनकी आत्मा को भान्ति प्रदान करे। यह हाउस उनके निधन से दुखी है तथा उनके परिवार के प्रति सम्वेदना प्रकट करता है। भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री श्री एच0एस0 पटेल भी आज इस संसार में नहीं रहे। उन्होंने सन् 1977 में जनता पार्टी की सरकार में, श्री मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में केन्द्रीय मन्त्री के रूप में कार्य किया। वे एक बहुत ही अच्छे अर्थ- शास्त्री थे तथा उन्होंने दे 1 के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। परमात्मा उनकी आत्मा को भान्ति प्रदान करे। दिवंगत आत्मा के प्रति यह सदन अपनी संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, श्री हितेन्द्र देसाई, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे थे। आज वे इस संसार में नहीं हैं। वे बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। राजनीति में वे काफी समय तक रहे, आज वे हमारे बीच में नहीं रहे हैं। परमात्मा उनकी आत्मा को भान्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री राजमंगल पांडे भी इस संसार में नहीं रहे। मेरे उनसे काफी नजदीकी सम्बन्ध थे। मुझे उनके साथ एक पार्टी में रहकर काम करने का मौका भी मिला था। उन्होंने अपने भासन के दौरान शिक्षा के लिए काफी काम किया। जब वे केन्द्र में थे तो उन्होंने हरियाणा के लिए भी कई काम किए हैं। परमात्मा उनकी आत्मा को भान्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री समरेन्द्र कुंडू, एक अच्छे नेता थे। वे गरीब लोगों के लिए कार्य करते थे। उन्होंने जो भी कदम उठाए थे उनका लाभ गरीब लोगों को ही हुआ है। परमात्मा उनकी आत्मा को भान्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, मैं पी० वैकंटसुब्बैया, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। वे एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी और एक योग्य प्रशासक थे। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे हैं। परमात्मा उनकी आत्मा को भान्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, श्री जे०आर०डी० टाटा, महान् उद्योगपति के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने दे टा के लिए बहुत से सार्वजनिक काम किए हैं। टाटा की बनी हुई चीजों को आज भी लोग प्रमुखता देते हैं। उन्होंने सारे जीवन में दे टा के लिए अच्छे काम किए हैं और आज वे हमारे बीच में नहीं रहे हैं। परमात्मा उनकी आत्मा को भान्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, श्री अजमत खां, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री, एक अच्छे नेता थे, मेरे उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं। मुझे उनके मरने से दो दिन पहले उनसे मिलने का मौका मिला था। वे समाज के प्रति बहुत जी अच्छे विचार रखते थे। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे हैं। परमात्मा उनकी आत्मा को भान्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, श्री वीरेन्द्र, एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। वे पत्रकारिता में अपना एक अहम स्थान रखते थे। उनकी लेखनी में काफी दम था। वे देश के लोगों को एक अच्छी दिशा दिखाया करते थे। वे प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। यह सदन दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी आत्मा को भान्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से श्री भूपेन्द्र सिंह मान, जो ने सिर्फ भूतपूर्व मंत्री व विधायक रहे हैं बल्कि किसानों के लिए अवसर मिलने पर एक निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले भी रहे हैं। उन्होंने स्वर्गीय दीन बन्धु छोटू राम के साथ रहकर भी किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। उनकी यह सोच रही है कि देश के मेहनतकश किसानों के लिए कुछ किया जा सके, कुछ प्राप्त किया जा सके। लेकिन वह आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। परमात्मा उनकी आत्मा को भान्ति प्रदान करे।

इसी तरह से श्री दलीप सिंह कंग ने संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव के तौर पर अच्छे काम किए, वे आज हमारे बीच नहीं रहे। मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे सम्पर्क रहा है। वे एक नेक इंसान थे और अच्छे पार्लियामैंटेरियन थे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी आत्मा को भांति प्रदान करे। यह हाउस उनके प्रति संवेदना प्रकट करता है तथा उनके परिवार के सदस्यों के प्रति भी सहानुभूति व्यक्त करता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सरदार चरण सिंह जी संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य थे, वे आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। वे एक अनुभवी विधायक थे। उनकी सेवाओं से देश वंचित हो गया है। परमात्मा उनकी आत्मा को भांति प्रदान करे। इसी तरह से मास्टर गुरचरण सिंह जी संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के सदस्य रहे हैं, भी एक अच्छे पार्लियामैंटेरियन थे। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, परमात्मा उनकी आत्मा को भांति प्रदान करे यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। यह हाउस दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है।

इसी तरह से श्री सत नारायण गुप्ता ही न सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता थे बल्कि इस हाउस के सम्मानित सदस्य श्री मांगे राम गुप्ता जी के भाई भी थे, भी आज हमारे बीच में नहीं हैं। यह हाउस उनके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता है। परमात्मा उनकी आत्मा को भांति प्रदान करे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे हाउस के सम्मानित सदस्य श्री मांगे

राम गुप्ता जी को इस असहाय दुख को सहन करने की भाक्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारे हाउस के एक और सम्मानित सदस्य श्री बचन सिंह आर्य के बड़े भाई का दुःखद निधन हुआ। वह एक अच्छे समाजसेवी थे। उनके जाने की वजह से श्री बचन सिंह आर्य को बेहद दुख हुआ है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह उनको इतनी भाक्ति प्रदान करे कि वह इस दुख को सह सके। यह हाउस उनके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता है।

चौधरी बंसी लाल (तो गाम): अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के पिछले अधिवेदन से आज के अधिवेदन के बीच में कई अच्छे-अच्छे साथी हमें छोड़कर चले गए हैं। इनमें से विशेष रूप से गुजरात के मुख्यमंत्री श्री चिमनभाई पटेल, गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व मंत्री श्री हितेन्द्र देसाई और भारत सरकार के भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री एच०एम० पटेल तथा पी० वेंकटसुब्बैया खासतौर से उल्लेखनीय हैं। श्री चिमन भाई पटेल इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वे एक अच्छे प्रशासक भी थे। वे एक अच्छे लगनशिल व्यक्ति थे और किसान, गरीब, मजदूर की सेवा करने वाले और अपने प्रांत को उद्योग की तरफ बढ़ाने वाले कुशल प्रशासक थे। इसी तरह से श्री हितेन्द्र देसाई पक्के गांधीवादी थे। उन्होंने नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया और करीब 6 साल तक वे गुजरात के मुख्यमंत्री भी

रहे। इसके बाद वे केन्द्रीय सरकार के मंत्री भी रहे। उनके समय में गुजरात ने बड़ी तरक्की की। दिल्ली की सरकार में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। श्री एच०एम० पटेल हिन्दुस्तान के विभाजन के समय भारत सरकार के डिफैन्स सैक्रेटरी थे और वह समय बहुत क्रूि ायल पीरियड था। दे ा बड़े नाजूक दौर में से गुजर रहा था। पाकिस्तान बनते ही क मीर के ऊपर पाकिस्तान सरकार नजर टिकाकर उस पर हमले की तैयारियां कर रही थी उस समय उन्होंने वि ेश भूमिका निभाई थी। उसके बाद वे कैबिनेट सैक्रेटरी भी रहे, गुजरात लेजिस्लेटिव असैम्बली में मैम्बर भी रहे और दिल्ली की सरकार में भी वे वित्त मंत्री रहे। सरकार की पौलिसी बनाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वे सरदार पटेल के बहुत नजदीक थे। सरदार पटेल के नजदीक तो वही आदमी रह सकता था जो बहुत लायक और उच्च श्रेणी का आदमी हो।

इसी तरह से श्री पी० वैकटसुब्बैया दिल्ली की सरकार में मंत्री व बिहार के गवर्नर रहे। जहां कहीं भी उन्हें कार्य करने का मौका मिला, उन्होंने उसे बड़ी निश्ठापूर्वक निभाया। इन सब साथियों से मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे। मुझे इनके संसार से चले जाने पर व्यक्तिगत दुख हुआ है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से इनके परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन दिवंगत आत्माओं को भांति

दे और इनके कुटुम्ब के लोगों को सदन की हमदर्दी पहुंचाई जाए।

श्री राजमंगल पांडे हमारे साथ पार्लियामेंट में मैम्बर रहे। उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी वे मैम्बर रहे। वे एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जो इस संसार से चल बसे।

श्री वीरेन्द्र एक बहुत अच्छे सम्पादक, लेखक और पत्रकार थे। उनके बारे में जितना कहें, थोड़ा है। वे बड़े कट्टर आर्यसमाजी और बड़े अच्छे समाज सुधारक थे। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से उनके परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ।

इसी तरह से श्री जे०आर०डी० टाटा भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। आज टाटा का नाम उद्योगों में सबसे ऊंची श्रेणी में आता है। इनके बड़े उद्योगपति होने के बावजूद वे एक साधारण इंसान की जिंदगी व्यतीत करते थे, एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते थे। अपने सब काम इस उम्र में भी खुद किया करते थे। वे एक बहुत बड़े देवभक्त थे और इसीलिए भारत सरकार ने उन्हें "भारत रत्न" की उपाधि से सम्मानित किया। उनके जाने से देव को बहुत नुकसान हुआ है। इतने अच्छे व्यक्ति देव से चल बसे तो हर व्यक्ति को दुख होता है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से उनके परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ।

इसी तरह से श्री समरेन्द्र कुण्डू, श्री अजमत खा, श्री भूपेन्द्र सिंह मान, श्री दलीप सिंह कंग, सरदार चरण सिंह, मास्टर गुरुचरण सिंह, श्री सतनारायण गुप्ता और श्री बलवंत सिंह आर्य, ये सभी इस संसार से चल बसे। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से इनके परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ।

प्रो० राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, आना जाना तो विधि का विधान है। कुछ महानुभाव/राजनेता हमारे बीच में से उठ गये हैं। श्री चिमन भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हमारे बीच में से चले गये हैं। वे बड़े ही योग्य व्यक्ति थे।

मास्टर अजमत खां हमारे साथ 1987 में इसी सदन के सदस्य रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वह गुड़गांव के अस्पताल में किसी को देखने के लिये गये थे। वे खुद बिमार नहीं थे, ठीक-ठाक थे, लेकिन अब चौधरी अजमत खां इस दुनिया में नहीं रहे। मेवात के बारे में उनका बड़ा सक्रिय योगदान था। वहां की भ्रान्ति के लिये उन्होंने मारगूल होते हुए भी काम किया। वे एक बड़े दिलदार व्यक्ति थे। 1987 में एक बार शिवरात्रि के अवसर पर वे मेरे साथ फिरोजपुर झिरका के शिव मन्दिर में गये। वे बहुत नेक दिन के इंसान थे। उनके इस दुनिया से चले जाने से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख है।

श्री वीरेन्द्र जी ने आजादी के बाद मां-भारती के बंटवारे के समय जो हिन्दुस्तान के लोगों को पीड़ा हुई, अपनी लेखनी से उस पीड़ा को कुछ कम किया। पत्रकारिता के दान में वे इस उत्तरी भारत के लोगों के दिलों की पीड़ा को अभिव्यक्त करके कम करने के मामले में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। उनके न रहने से उत्तरी भारत का एक सक्षम कलमकार हमारे बीच में से चला गया जिसकी भरपाई होना मुश्किल है।

हमारे इस सदन के माननीय वित्त मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता जी के बड़े भाई श्री सत्य नारायण गुप्ता और हमारे साथी श्री बचन सिंह आर्य के भाई श्री बलवंत सिंह आर्य का भी निधन हो गया है। मुझे और मेरी पार्टी को इसका बड़ा दुख है।

श्री जे०आर०डी० टाटा, अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के एक माने हुए आदमी थे। उनकी बड़ी इज्जत थी। वे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्वालिटी को नाम दिया। भारत में बनी हुई चीजें दुनिया के बाजार में इतनी ज्यादा मान्य नहीं थी लेकिन टाटा के नाम की बनी हुई चीजें क्वालिटी के हिसाब से उच्च स्तर की मानी जाती थी। जिस वस्तु के साथ टाटा का नाम जुड़ जाता था, वह आसानी से बिक जाती थी। जे०आर०डी० टाटा ने जो कुछ भी निर्माण किया इसमें उसकी पारिवारिक सम्पत्ति बढ़ी, यह एक अलग विशय है। परन्तु उन्होंने जो कुछ भी उत्पादन किया, वह बड़ा अच्छा किया। आज बड़ी-बड़ी गाड़ियां जो चल रही हैं, उनमें से वन-थर्ड टाटा की है। आजकल के समय में जे०आर०डी० टाटा

जैसे आदमी की विशेष आवयकता थी क्योंकि आजकल विदेशी कम्पनियां भारत के बाजार पर हमला कर रही हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसे व्यक्ति की बहुत जरूरत थी। उनके निधन से इस देश को बहुत आघात लगा है। बाकी इस प्रस्ताव में एच०एम० पटेल, श्री हितेन्द्र देसाई, श्री राजमंगल पांडे, श्री समरेन्द्र कुंडू, श्री पी० वेंकटसुब्बैया, श्री भूपेन्द्र सिंह मान, श्री दलीप सिंह कंग, सरदार चरण सिंह, मास्टर गुरुचरण सिंह आदि के नाम हैं इन सब के निधन से हुए दुख में मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से भाोक जाहिर करता हूँ और उनके परिवार के लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव रखा है, मैं उसका अनुमोदन करती हूँ। (गोर) मैं तो इसलिये बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि इनमें से कुछ हमारे साथी रहे हैं और मेरा उनसे निजी सम्बन्ध रहा है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।

श्री चिमन भाई पटेल लोक सभा में हमारे साथ रहे थे। हम उनसे पिछले साल ही मिले थे और हम यह नहीं समझते थे कि वे इतनी जल्दी इस संसार से चले जाएंगे। श्री पटेल इंडस्ट्री में बहुत रूचि रखते थे। मैं उनके परिवार को अपनी ओर से सहानुभूति भेजती हूँ। उनके निधन से गुजरात को बहुत नुकसान हुआ है।

स्पीकर साहब, श्री एच०एस० पटेल और श्री हितेन्द्र देसाई बहुत ही एफीं एण्ट और ईमानदार मुख्य मन्त्री रहे हैं और इनके निधन से भी गुजरात को काफी नुकसान हुआ है।

श्री समरेन्द्र कुंडू केन्द्र में राज्य मंत्री रहे। हम तो उन्हें कहा करते थे कि आप तो हरियाणा के लगते हैं। वे कहते थे कि हो सकता है कि हमारे पूर्वज सदियों पहले हरियाणा से गए हों लेकिन हम अपने हिसाब से उनको हरियाणा का कहते थे। वे एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे।

स्पीकर साहब, श्री मांगे राम के भाई का भी जिक्र है। मैं उनके परिवार को अपनी ओर से सहानुभूति भेजती हूं।

श्री जे०आर०डी० टाटा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। श्री अजमत खा, श्री भूपेन्द्र सिंह मान एक बहुत अच्छे किसान थे और किसानों के प्रति उनकी काफी हमदर्दी थी। श्री दलीप सिंह कंग, श्री सत नारायण गुप्ता और श्री बलवन्त सिंह आर्य को, स्पीकर साहब, मैं अपनी ओर से श्रद्धान्जलि अर्पित करती हूं।

4.00 बजे

Mr Speaker: Hon'ble members, I also associate myself with the feelings expressed by the leaders of different parties about the sad demise of the departed soul.

श्री चिमन भाई पटेल गुजरात के मुख्य मन्त्री थे। वे बाईस साल तक एम०एल०ए० रहे। वे मन्त्री रहे और दो बार मुख्य

मन्त्री रहे। वे बहुत ही अच्छे प्रशासक और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। श्री एच०एम० पटेल एक क्वालिटी के औफिसर थे। वे आई०सी०एस० के कम्पीटीशन में आए और फिर पोलिटिक्स में आए। वे लोकसभा में एम०पी० रहे और फिर सैन्टर में मन्त्री रहे। इस तरह से उन्होंने देश की बतौर औफिसर तथा बाद में राजनीति में आने के बाद देश की काफी सेवा की। श्री हितेन्द्र देसाई सैन्ट्रल मिनिस्टर भी रहे थे। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय वे अठासी साल के थे। वे एक स्वतन्त्रता सेनानी थे और डिसओविडिएन्स मूवमेंट में उन्होंने सक्रिय हिस्सा लिया। वे गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे और गुजरात से पहले बम्बई में रहे। जब बम्बई दो हिस्सों में बंट गया तो वे गुजरात चले गए।

श्री राजमंगल पांडे का स्वर्गवास 73 साल की उमर में हुआ है। वे सोलह साल तक यू०पी० विधान सभा में एक०सल०ए० रहे। वे लोक सभा के भी मੈम्बर रहे और सैन्टर में मिनिस्टर भी रहे।

श्री समरेन्द्र कुंडू भी सैन्ट्रल मिनिस्टर थे। वे वकील भी थे और लोक सभा में दो दफा चुनकर आए थे। वे दो साल तक सैन्टर में मिनिस्टर रहे।

इसी तरह से पी० वेंकटसुब्बैया भी सैन्ट्रल मिनिस्टर रहे और मद्रास विधान सभा में मੈम्बर रहे। वे छब्बीस साल तक लोक

सभा के मैम्बर रहे तथा सैन्ट्रल मिनिस्टर रहे। वे कर्नाटक तथा बिहार के राज्यपाल भी रहे। वे एक अच्छे ऐजूके निस्ट थे।

श्री जे०आर०डी० टाटा एक इन्टरनेशनल फिगर थी और उनके पिता जी के नाम से जमशेदनगर बसा हुआ है। स्टील इंडस्ट्री में सारे वर्ल्ड में वे अग्रणी थे। स्टील इंडस्ट्री जो बेसिक इंडस्ट्री में आती है उसमें वे एडवैनचर्स थे। उन्होंने सिविल ऐवीएशन को प्राइवेट तौर पर भुरू किया और सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया था।

इसी तरह से श्री अजमत खा, जो इस हाउस के मैम्बर थे और पञ्जाब गवर्नर मन्त्री भी रहे हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उनकी भावनाएं बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेवात के ऐरिया में हिन्दू-मुस्लिम इतेहाद के लिये बहुत काम किया।

श्री वीरेन्द्र, एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। प्रसिद्ध पत्रकार होने के साथ साथ एक निडर एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे किसी भय और डर के बिना अपने इंडीपैडेन्ट विचार व्यक्त करते थे। वे देश और सोसायटी के लिये हमेशा ही पथ प्रदर्शित करने का काम करते रहे थे। विभाजन के बाद श्री वीरेन्द्र ने जालन्धर से दैनिक समाचार पत्र प्रताप (उर्दू) और वीर अर्जून अखबार, जिसका नाम बाद में बदल कर वीर प्रताप कर दिया गया, का प्रकाशन भुरू किया। आर्य समाज में उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई। वे आर्य

प्रतिनिधि सभा की पंजाब भाखा के बहुत समय तक प्रधान भी रहे ।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान, वे संविधान सभा के 1948 से 1952 तक सदस्य रहे और एक वर्ष पैप्सू राज्य में वित्त मन्त्री भी रहे ।

इसी तरह से श्री दलीप सिंह कंग, वे सांझे पंजाब में श्री भीमसैन सच्चर व श्री गोपी चन्द भार्गव के मंत्रिमण्डलों में मुख्य संसदीय सचिव भी रहे । सरदार चरण सिंह, सांझे पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य रहे ।

श्री गुरचरण सिंह, 16 सालों तक लगातार पंजाब विधान परिशद के मैम्बर रहे हैं ।

श्री सतनारायण गुप्ता, जो हमारे वित्त मन्त्री श्री मांगे राम गुप्ता जी के भाई हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे ।

श्री बलवन्त सिंह आर्य, जो हरियाणा के राज्य मन्त्री श्री बचन सिंह आर्य के बड़े भाई थे, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे । अब ये सभी व्यक्ति इस संसार में नहीं रहे । यह संसार ही चलाये मान है और इस संसार में जो व्यक्ति आया है, उसे एक दिन जाना ही है लेकिन जो लोग अग्रणीय काम करते हैं उन को इस संसार में याद किया जाता है ।

Hon'ble members, I will convey the deep feelings of this House to the bereaved families. Now I request you to stand for two minutes silence.

(At this stage the House stood in silence as a mark of respect to the memory of deceased for two minutes).

घोशणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा—

(i) सभापतियों की सूची

Mr. Speaker: Hon'ble Members under rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panel of Chairmen:-

1. Shri Verender Singh:
2. Shri Mani Ram Keharwala:
3. Shri Dhir Pal Singh; and
4. Prof. Chhattar Singh Chauhan

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker: Hon'ble Members I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions under rule 286(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

1.	Shri Sumer Chand Bhatt, Deputy	Ex-Officio Chairman
2.	Shri Brij Anand, M.L.A.	Member
3.	Shri Rajinder Singh Bisla, M.L.A.	Member
4.	Prof. Chhattar Singh Chauhan,	Member
5.	Shri Jai Pal Singh, M.L.A.	Member

(ख) सचिव द्वारा—

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिये गये बिलों सम्बन्धी

Mr. Speaker: Now the Secretary will make announcement.

सचिव: महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अपने दिसम्बर, 1992 तथा अगस्त-सितम्बर, 1993 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर *राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ।

December Session, 1992

*The Haryana Cotton Ginning and Pressing Factories Bill, 1992.

August-September Session, 1993

*1. The Haryana Relief of Agricultural Indebtedness (Amendment) Bill, 1993

2. The Haryana Private Lotteries Prohibition Bill, 1993.

3. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1993.

बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी पहली रिपोर्ट पे आ करना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

"The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

However, on Monday, the 28th February, 1994, the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and adjourn after the conclusion of Business entered in the list of business for the day.

The Committee also recommends that the House shall adjourn on 4th March, 1994 to meet again on Monday, the 7th March, 1994 at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. On Wednesday, the 9th March, 1994, it shall meet at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. to meet again on Tuesday, the 15th March, 1994 at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. On Thursday, the 17th March, 1994 it shall meet 9.30 A.M. and

adjour after the conclusion of the Business entered in the list of business for the day.

The Committee after some discussion, also recommends that the Business from 28th February, 1994 to 4th March, 1994 and from 7th March, 1994 to 9th March, 1994 and also from 15th March, 1994 to 17th March, 1994, be transacted by the Sabha as under:-

<p>The House will meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's address on the 28th February, 1994.</p>	<p>Laying of a copy of the Governor's Address on the table of the House.</p> <p>2. Obituary References.</p> <p>3. Presentation and adoption of the First Report of the Business Advisory Committee.</p> <p>4. Papers to be laid/re-laid on the table of the House.</p> <p>5. Presentation of two preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final Reports thereon.</p>
<p>Tuesday, the 1st March, 1994 (9.30 A.M.)</p>	<p>1. Question Hour.</p> <p>2. Motion under rule 121.</p>

	3. Discussion on the Governor's Address.
Wednesday, the 2 nd March, 1994 (9.30 A.M.)	1. Question Hour. 2. Presentation of Supplementary Estimates for the year 1993-94 and the Report of the Estimates Committee thereon. 3. Resumption of discussion on the Governor's Address
Thursday, the 3 rd March, 1994 (9.30 A.M.)	1. Question Hour. 2. Non-official Business.
Friday, the 4 th March, 1994 (9.30 A.M.)	1. Question Hour. 2. Resumption of discussion on the Governor's Address and Voting on Motion of Thanks. 3. Discussion and Voting on demands for grants on the Supplementary Estimates 1993-94.
Saturday, the 5 th March 1994	Off day

Sunday, the 6 th March, 1994	Holiday
Monday, the 7 th March, 1994 (2.00 P.M.)	1. Question Hour. 2. Presentation of Budget Estimates for the year 1994-95.
Tuesday, the 8 th March, 1994 (9.30 A.M.)	1. Question Hour. 2. Papers to be laid on the table of the House, if any. 3. General discussion on Budget Estimates for the year 1994-95.
Wednesday, 9 th March, 1994 (9.30 A.M.)	1. Question Hour. 2. Resumption of general discussion on Budget Estimates for the year 1994-95 and reply by the Finance Minister.
Thursday, the 10 th March, 1994	Holiday
Friday, the 11 th March, 1994	Off day
Saturday, the 12 th March, 1994	Off day
Sunday, the 13 th March, 1994	Holiday
Monday, the 14 th March, 1994	Holiday

<p>Tuesday, the 15th March, 1994 (2.00 P.M.)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Question Hour. 2. Discussion and Voting on demands for grants on the Budget Estimates for the year 1994-95
<p>Wednesday, the 16th March, 1994 (9.30 A.M.)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Question Hour. 2. Motion under rule 30. 3. Presentation of Assembly Committee Reports. 4. Resolutions. 5. Appropriation Bills respect of Supplementary Estimates 1993-94. 6. Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 1994-95. 7. Legislative Business.
<p>Thursday, the 17th March, 1994 (9.30 A.M.)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Question Hour. 2. Motion under rule 15 regarding non-stop sitting. 3. Motion under rule 16 regarding adjournment of the Sabha Siae-die.

	<p>4. Presentation of Assembly Committee Reports.</p> <p>5. Legislative Business.</p> <p>6. Any other Business.</p>
--	---

Mr. Speaker: Now the Parliamentary Affairs Minister (Irrigation Minister) will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra): I beg to move-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Chaudhri Birender Singh (Uchana Kalan): Speaker Sir, I have gone through the recommendations of the Business Advisory Committee. In total, there are 11 sittings and 17th March should be a non-official day but it is being converted into official day, which means that the official business will be transacted on that day. Sir, if any Hon'ble member moves a resolution or a bill today i.e. at the start of the Session, then 15 clear days' notice is required and on 10th March, there will be no business. Then the only day which is left for

deliberations on the non-official resolution or a non-official bill is the 17th March. What I have come to know from your Secretariat is that there is no resolution upto now with the Secretariat. I want to move non-official resolution which is very important for the entire State of Haryana but while going through this report, I do not think, I will get an opportunity to explain the view-point of about 2 crores people of the State. So my submission is that if at all some business is to be transacted, it should be transacted on 18th March and the same should not be transacted on 17th March, which is the only day left for the non-official resolution. The non-official resolution can be debated and deliberated upon on that day only. So I would request you and the Leader of the House that at least 17th March, should be kept in the agenda as non-official day and no official business should be transacted on that day.

Chaudhri Jagdish Nehra: Sir, In the meeting of the Business Advisory Committee, I have already submitted that there is no non-official resolution as such and which is already there, that also relates to the education. So I do not think, there is necessity of having non-official day on that day.

Mr. Speaker: There is already one non-official resolution pending relating to the education.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने एक नान-ऑफिशियल रैजाल्यूशन आलरेडी आया हुआ है, उस पर बहस होनी है। लेकिन फिर भी अगर हाउस चाहे तो सै उन एक दिन और बढ़ाया जा सकता है। अगर 17 तारीख का

दिन नान-ऑफि ियल रहे तो हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने यह बात बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मिटिंग में भी कही थी और उस समय चौधरी सम्पत सिंह जी भी उस मीटिंग में हाजिर थे लेकिन इन्होंने भी उस समय यह बात कही थी कि जो एजुके िन के बारे में रैजोल्यू िन हाउस के सामने हैं, उस पर काफी बहस हो चुकी है इसलिये उस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सभी ने सर्वसम्मति से यह माना है कि 17 तारीख के नान-ऑफि ियल डे को ऑफि ियल डे में कवर्ट कर दें हमें कोई एतराज नहीं है। अगर आप 17 तारीख को नान ऑफि ियल डे रखना चाहते हैं तो हमें इसका कोई एतराज नहीं है। सै िन एक दिन और बढ़ाया जा सकता है यानि 18 तारीख तक सै िन चल सकता है।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दी हाउस ने तो मान लिय कि नोन-ऑफि ियल डे रख लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने यह माना है कि नोन-ऑफि ियल डे के दिन non-official resolution which is pending before the House will continue and the programmes fixed for 17th March will go on 18th March, 1994.

चौधरी भजन लाल: वही पुराना प्रस्ताव ही कन्टीन्यू करेगा। वह अभी खत्म नहीं हुआ है।

Chaudhri Birender Singh: Sir, that is right but my submission is that I want that on 17th there should be non-

official business. There should not be official business. The official business can be transacted on 18th.

Mr. Speaker: Question is that this House agree with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee with the addition that 17th will be the non-official day and the programme.-----

चौधरी भजन लाल: हमें कोई एतराज नहीं। समय बढ़ा दिया जाये लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ और रैज्योल्यू इन आ नहीं सकता। उसी प्रस्ताव पर तो डिस्क इन हो जाएगी। यदि एक दिन और बढ़ाया जाता है तो सदन का समय खराब होगा और बेकार का खर्चा बढ़ेगा। जब तक यह प्रस्ताव पास नहीं हो जाता तब तक और दूसरा प्रस्ताव आ नहीं सकता। हमने तो बी०ए०सी० की मीटिंग में भी कहा था कि बे एक समय बढ़ा लें लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: दूसरा रैज्योल्यू इन भी आ सकता है।

चौधरी भजन लाल: जब एक प्रस्ताव पर पहले ही बहस चल रही है और वह पास नहीं हुआ है तो उसके रहते दूसरा प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, एक रैज्योल्यू इन मेरे ख्याल से दा अढ़ाई साल से पैडिंग है और उसी पर बहस चल रही है। मेरे ख्याल में इस पर सभी माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

मेरी समझ में नहीं आता कि जब सभी सदस्य बोल चुके हैं तो फिर बार बार इस पर डिस्कान की क्या जरूरत है। अगर माननीय सदस्य बोलना ही चाहते हैं तो तीन तारीख को जब वीरवार को इस पर बहस होगी तो उस समय देख लिया जाये कि इसको कन्टोन्यू रखना है या पास करना है। यदि उस दिन यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो बी०ए०सी० का दुबारा मीटिंग करके दूसरे प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

चौधरी जगदी 1 नेहरा: अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० के रैज्योल्यू इन पर भी तकरीबन डेढ़ साल तक बहस हुई थी। उसके बाद इस एजुके इन के प्रस्ताव पर बहस चल रही है और इस प्रस्ताव पर भी पिछले 2-3 सै इन से बहस चल रही है। इस पर सभी विस्तारपूर्वक बोल चुके हैं। जब तक यह प्रस्ताव खत्म नहीं होता मेरे ख्याल में टाइम बढ़ाने को कोई औचित्य नहीं है।

Chaudhri Birender Singh: That is what exactly I am speaking that it is not definite that the resolution which has already been discussed would continue on 17th. This is only our presumption that it will continue. Why it will continue, when it has already been discussed?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मौजूदा रैज्योल्यू इन के बारे में 3 तारीख को चर्चा चल जाएगा। उसके बाद फिर इनके सुझाव पर विचार कर सकते हैं।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह सै इन 17 तारीख तक चलना है और किसी रैज्योल्यू इन को देने के लिये कम से कम 15 दिन का नोटिस देना होता है।

If my notice and resolution is found in order, then it can be the part of the agenda.

श्री अध्यक्ष: इस रैज्योल्यू इन पर दो घंटे ही बोले हैं। इस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे।

चौधरी जगदी ा नेहरा: जो बात ये कह रहे हैं उस हिसाब से टाक आउट नहीं होगा और कोई हल नहीं हो सकेगा। इसलिये सै इन को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता।

डा० राम प्रका ा: मौजूदा रैज्योल्यू इन भी काफी महत्वपूर्ण है। इस पर काफी डिस्क इन की आवश्यकता है। अतः यह दिन प्राइवेट बिजनैस के लिये ही रहना चाहिये। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी जो रैज्योल्यू इन ला रहे हैं वह भी बहुत जरूरी मसला है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिये और हाउस की सीटिंग बढ़ाई जानी चाहिये। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पछिले साल बजट सै इन की 13 बैठकें हुई थी जो अब घट कर 11 रह गई हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दों के लिये 11 दिन जो मिल रहे हैं, वे कम हैं। जब जब भारत की विधान सभाओं के स्पीकर्स की बैठकें हुई उनमें इस बात पर विचार किया गया कि सदन की बैठकें ज्यादा दिन तक चलनी चाहिये ताकि हर सदस्य अपनी बात को जिस ढंग से कहना चाहता

है वह सदन में कह सके। बनिस्बत इसके कि जो रिक्मैंडे एन्ज पार्लियामेंट में स्पीकर्स की उपस्थिति में बाकी सारे स्पीकर्स की होती रही है, उस पर कोई कार्यवाही करके सदन की अवधि की बैठकों को बढ़ाया जाता, लेकिन इनको घटाया जा रहा है यह अच्छा कदम नहीं होगा। इस नाते भी अगर एक दिन बढ़ाया जाता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

Mr. Speaker: It is for the House to decide.

चौधरी भजन लाल: इसमें सीधी सी बात है कि इस पर हम 3 तारीख को भी विचार कर सकते हैं। अगर सहमति हो जाती है तो इस पर रैज्योल्यू इन बाद में भी आ सकता है और अगर 18 तारीख को सै इन रखना चाहते हैं तो वह हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। (विधन)

Mr. Speaker: Question is-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए पुनः रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker: Now Irrigation Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra): Sir, I beg to lay on the table-

The Haryana General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1993 (Haryana Ordinance No. 1 of 1993).

The Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Ordinance, 1993 (Haryana Ordinance No. 1 of 1994).

The Haryana Mechanical Vehicles (Bridge Tolls) Amendment Ordinance, 1994 (Haryana Ordinance No. 2 of 1994).

The Haryana Tax on Luxuries Ordinance, 1994 (Haryana Ordinance No. 3 of 1994).

Sir, I beg to re-lay on the table-

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 18/H.A. 20/73/S.64/93, dated the 15th March, 1993 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1993 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 38/H.A. 20/73/S.64/93, dated the 20th July, 1993 regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1993 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 19/H.A.3/70/S.. 8 and 9/93, dated the 16th March, 1993 regarding the Haryana Ministers Travelling Allowance (First Amendment) Rules, 1993 as required under Section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 20/Const./Art. 320/Amd. (3)/93 dated the 18th March, 1993 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), Third Amendment Regulations, 1993 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 20/Const./Art. 320/Amd. (4)/93 dated the 23rd April, 1993 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), Fourth Amendment Regulations, 1993 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 33/Const./Art. 320/Amd. (5)/93 dated the 18th June, 1993 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), Fifth Amendment Regulations, 1993 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 37/Const./Art. 320/Amd. (6)/93 dated the 16th July, 1993 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), Sixth Amendment Regulations, 1993 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 39/Const./Art. 320/Amd. (7)/93 dated the 10th August, 1993 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), Seventh Amendment Regulations, 1993 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 43/Const./Art. 320/Amd. (8)/93 dated the 18th August, 1993 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), Eight Amendment Regulations, 1993 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

Sir, I beg to lay on the table-

The General Administration Department (General Service) Notification No. G.S.R. 60/Const./Art. 320/Amd. (9)/93 dated the 29th October, 1993 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), 9th Amendment Regulations, 1993 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Service) Notification No. G.S.R. 62/Const./Art. 320/Amd. (11)/93 dated the 12th November, 1993 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), Eleventh Amendment Regulations, 1993 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 64/Const./Art. 320/Amd. (10)/93 dated the 26th November, 1993 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), Tenth Amendment Regulations, 1993 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Service) Notification No. G.S.R. 65/Const./Art. 320/Amd. (12)/93 dated the 31st December, 1993 regarding the Haryana

Public Service Commission (Limitation of Functions), Twelfth Amendment Regulations, 1993 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Service) Notification No. G.S.R. 1/Const./Art. 320/Amd. (13)/93 dated the 31st December, 1993 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), Thirteenth Amendment Regulations, 1993 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Service) Notification No. G.S.R. 6/Const./Art. 320/Amd. (1)/94 dated the 1st February, 1994 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), First Amendment Regulations, 1994 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Service) Notification No. G.S.R. 10/Const./Art. 320/Amd. (2)/94 dated the 4th February, 1994 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), Second Amendment Regulations, 1994 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Service) Notification No. G.S.R. 10/Const./Art. 320/Amd. (2)/94 dated the 4th February, 1994 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions), Second Amendment Regulations, 1994 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 46/H.A. 20/73/S.64/93, dated the 31st August, 1993 regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1993 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 49/H.A. 20/73/S.64/93, dated the 2nd September, 1993 regarding the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 1993 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 56/H.A. 20/73/S.64/93, dated the 18th October, 1993 regarding the Haryana General Sales Tax (Fifth Amendment) Rules, 1993 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 13/H.A. 20/73/S.64/93, dated the 11th February, 1994 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1994 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the year 1990-91 as required under Article 323(2) of the Constitution of India.

The 24th Annual Report of the Haryana State Small Industries and Export Corporation Limited for the year 1990-91 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 25th Annual Report of the Haryana State Small Industries and Export Corporation Limited for the year 1991-92 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 1st Annual Report of the Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 1989-90 and 1990-91 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 26th Annual Report of the Haryana State Industries Development Corporation Limited for the year 1992-93 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 26th Annual Report of the Haryana State Industries Development Corporation Limited for the year 1992-93 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The Report of Commission of Inquiry headed by Shri O.P. Gupta, Distt. and Session Judge Kurukshetra as required under sub-section (4) of Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1993 No. (1) (Commercial) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of the Clause(2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1993 No. (2)

(Commercial) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of the Clause(2) of Article 151 of the Constitution of India.

वि शेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री सम्पत सिंह, एम0एल0ए0 तथा प्रतिपक्ष के नेता के विरुद्ध

Mr. Speaker: Now Shri Jai Parkash, M.L.A. Chairman Privileges Committee will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Mani Ram Keharwala, M.L.A. against Shri Sampat Singh, M.L.A., and leader of Opposition in respect of casting aspersions and reflection on the impartiality of the Speaker and using derogatory remarks in his statement, published in various newspapers on 4th March, 1993 and will also move the motion for the extension of time for the presentation of the final report to the House.

Chairman, Privileges Committee (Shri Jai Parkash): Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Mani Ram Keharwala, M.L.A., against Shri Sampat Singh M.L.A. and Leader of Opposition in respect of casting aspersions and reflection in the impartiality of the Speaker and using derogatory remarks in his statement published in various news papers on 4th March, 1993.

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

Mr. Speaker: Question is-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

The motion was carried.

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम0एल0ए0 के विरुद्ध

Mr. Speaker: Now Shri Jai Parkash M.L.A., Chairman, Privileges Committee will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Ram Rattan, M.L.A., against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A., for using abusive and threatening language to kill and intimidate him in relation to the discharge of his parliamentary duties, in the presence of Sarvshri Mohd. Ilyas, Shokrullah Khan, Mahender Partap Singh, Raj Kumar, Dharambir Gauba, Joginder Singh, Mani Ram Keharwala and Chhattarpal Singh etc.-etc., in the lobby of the House at about 3.00 P.M. on the 11th March, 1993 and will also move the

motion for the extension of time for the presentation of the final Report to the House.

Chairman, Privileges Committee (Shri Jai Parkash): Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Ram Rattan, M.L.A., against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A., for using abusive and threatening language to kill and intimidate him in relation to the discharge of his parliamentary duties, in the presence of Sarvshri Mohd. Ilyas, Shakrullah Khan, Mahender Partap Singh, Raj Kumar, Dharambir Gauba, Joginder Singh, Mani Ram Keharwala and Chhattarpal Singh etc.-etc., in the lobby of the House at about 3.00 P.M. on the 11th March, 1993.

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the Final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the time for the presentation of the Final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker: Question is-

That the time for the presentation of the Final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow the 1st March, 1994.

***16.33 hrs.**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday the 1st March, 1994).